न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 20 / 22 दायर दिनांक: 09.03.2022

जीसीएमएस नं. 2022 / 45

उनवान

रामधन बनाम श्रीमति रूमा वगै.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
एवं सिलसिले दावा बाबत डिक्लेरेशन व
हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

अधिवक्ता :–

1 श्री चन्द्रशेखर तिवारी ––प्रार्थी / प्रति.सं. 3

2 श्री पवन तिवारी ––अप्रार्थी / वादी

निर्णय दिनांक 19/05/2026

प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व सिलसिले दावा पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण इकरारनामा की पालना से संबंधित है। इसलिए प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। प्रार्थी दावे में वर्णित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। इसलिए प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है।

हमने अप्रार्थी (वादी) अधिवक्ता को नकल प्रार्थना पत्र दिलाई गई। उनके द्वारा जवाब पेश किया गया, जो निम्नानुसार है–

वादी ने दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी व नल एण्ड वॉईड किये जाने दान पत्र रूमा बनाम रिंकू व गंगाराम बनाम मनोज तारीखी 27.07.2020 का पेश किया है। प्रार्थी ने उक्त आराजी मृतक बीरबल से जरिये इकरारनामा दिनांक 02.07.1981 को 4000/– रूपये में खरीद किया था तथा कब्जा प्राप्त कर काबिज हो काश्त करता हुआ लगातार चला आ रहा है। लेकिन बीरबल की मृत्यु पश्चात् उसके वारिसान गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना चाहते है तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने की गरज से दो दान पत्र तारीखी 27.07.2020 कराये जो कि काबिले निरस्त है तथा उक्त प्रार्थना पत्र रिंकू द्वारा गलत व झूठे तथ्यों पर किये जाने की मंशा के साथ पेश किया है, जो काबिले निरस्त के है।

उक्त के आधार पर पाया कि प्रकरण इकरारनामा बाबत है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पति/पिता बीरबल जो खातेदार था, जिसमें से 02 बीघा जमीन जरिये इकरारनामा संवत 2038 में दिनांक 02.07.1981 को वादी (अप्रार्थी) को बेची गई। किन्तु उक्त जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाना जाहिर किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज0

रजिस्ट्री व इकरारनामा की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है। दावे में वर्णित आराजीयात प्रार्थी रिंकू (प्रतिवादी संख्या 3) रिकॉर्डेड खातेदार है।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का भली भांति अध्ययन किया गया।

उक्तानुसार पाया गया कि अप्रार्थी (वादी) को उक्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी उक्त वाद पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया, जो विधि द्वारा पूरी तरह से वर्जित होने के कारण वाद खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व सिलसिले दावा स्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०